

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 नवम्बर 2014—अग्रहायण 3, शक 1936

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्र. एफ 2-2-2014-1-चौतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-दो में, सहायक यंत्री (सिविल) और सहायक यंत्री (मैकेनिकल) के सामने, कॉलम (3), (4) तथा (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

| सेवा का नाम | कर्तव्य पदों की कुल संख्या | भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता | | |
|----------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | नियम 6(1) (क) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा | नियम 6(1) (ख) के अधीन पदोन्नति द्वारा | नियम 6(1)(ग) के अधीन अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| सहायक यंत्री (सिविल) | 241 | 50 प्रतिशत | 50 प्रतिशत | (35 प्रतिशत डिप्लोमाधारी उपयंत्री संवर्ग से, 10 प्रतिशत डिग्रीधारी उपयंत्री संवर्ग से, तथा 5 प्रतिशत मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार संवर्ग से) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------------|-----|------------|--|-----|
| सहायक यंत्री (वि./यां) | 62 | 50 प्रतिशत | 50 प्रतिशत (35 प्रतिशत डिप्लोमाधारी उपयंत्री संवर्ग से, 10 प्रतिशत डिग्रीधारी उपयंत्री संवर्ग से, तथा 5 प्रतिशत मुख्य मानचित्रकार / मानचित्रकार संवर्ग से) | |

No. F 2-2-2014-1-XXXIV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Rules, 1980, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-II for the existing entries, in Column (3), (4) and (5) against Assistant Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Mechanical), the following entries relating thereto shall be substituted, respectively, namely :—

| Name of the Service | Total No. of Duty Posts | Percentage of the number of duty posts to be filled in | | |
|----------------------------|-------------------------|--|---|---|
| | | By direct Recruitment under Rule 6(1)(a) | By promotion under Rule 6(1)(b) | By transfer of persons from other services under Rule 6(1)(c) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Assistant Engineer (Civil) | 241 | 50% | 50% (35% from the cadre of Diploma holder Sub-Engineer, 10% from the cadre of degree holder Sub-Engineer and 5% from cadre of Head Draftsman / Draftsman.) | |
| Assistant Engineer (E/M) | 62 | 50% | 50% (35% from the cadre of Diploma holder Sub-Engineer, 10% from the cadre of degree holder Sub-Engineer and 5% from cadre of Head Draftsman / Draftsman.) | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.